

**मध्यप्रदेश शासन,**  
**स्कूल शिक्षा विभाग,**  
**मंत्रालय—वल्लभ भवन भोपाल**  
**एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर (एईओ) के पद पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन**

प्रदेश ने राज्य शिक्षा सेवा के गठन के अनुक्रम में शिक्षा विभाग अतर्गत 224 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अतर्गत 89 विकास खण्डों में मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्रमांक 337 दिनांक 25.07.2013 में दिए गये प्रावधान के अनुसार शासकीय माध्यमिक शाला के प्रधानपाठक (प्रधानाध्यापक), शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं शासकीय शालाओं में पदस्थ स्थानीय निकाय के अध्यापक चौं एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर (एईओ) के पद पर सीमित परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं—

1. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के नियम अनुसार एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर के पद पर आरक्षण निम्नानुसार होंगा—  
 अ महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत।  
 ब. निश्चित व्यक्तियों के लिए 2 प्रतिशत एवं लो विजन (दृष्टिबाधित) एवं 4 प्रतिशत पद अस्थिरबाधित के लिए आरक्षित रहेंगे।  
 स. अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे।
2. शैक्षणिक योग्यता—  
 म0प्र0शासन के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक)/प्रधान पाठक (प्रधानाध्यापक) माध्यमिक शाला/ स्थानीय निकाय सर्वां के अध्यापक जिन्हे विज्ञापन दिनांक को न्यूनतम 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव (अध्यापक के लिये अध्यापक पद पुर शैक्षणिक कार्य करन का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव) अनिवार्य होगा एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र मे स्नातक (वी एड) की उपाधि जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
3. पद का वेतनमान — 9300—34800+3600 ग्रेड पैंप
4. नियोजन प्रक्रिया एवं चयन का मापदण्ड— निर्धारित योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव रखने वाले म0प्र0शासन के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक)/प्रधान पाठक (प्रधानाध्यापक) माध्यमिक शाला/ स्थानीय निकाय सर्वां के अध्यापकों में से सीमित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। सीमित परीक्षा में कुल अक 75 होंगे। 25 अक शैक्षणिक अनुभव के लिये प्रदान किए जायेंगे। शैक्षणिक अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 2 अक तथा अधिकतम 25 अक निर्धारित रहेंगे। मेरिट सूची उपरोक्त दोनों का योग 100 अक मे से प्राप्ताक एं आधार पर प्रदर्शनावार लैयार की जाएगी। सीमित परीक्षा के कुल अकों मे से अनारक्षित दर्दन के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अक अर्थात् 37.50 अक तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निश्चित) के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अक अर्थात् 30.00 अक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. विज्ञापित किये गये पदों मे कमी या वृद्धि हो सकती है एवं एईओ के पद पर चयनित व्यक्तिकी पदस्थापन स्कूल शिक्षा विभाग अथवा आदिम जाति कल्याण विभागों के अधीन किसी भी विकास खण्ड मे पृथक से जारी शासन नीति अनुसार की जा सकेगी।
6. एईओ के पद के लिये केवल ऑनलाइन आवेदन एमआॉनलाइन के कियोर्स्क के माध्यम से अथवा इटरनेट के माध्यम से किए जा सकेंगे।
7. सीमित परीक्षा के आयोजन के विभिन्न गतिविधियों की समय सारणी निम्नानुसार होगी—

क्रमांक	गतिविधि	समयावधि	रिमार्क
1	ऑनलाइन आवेदन	25 अगस्त 2013 प्रातः 11.30 से दिनांक 31.08.2013 रात्रि 11.55 तक	एम पी ऑनलाइन के वेब पॉर्टल पर आवेदक द्वारा
2	प्रदेश पत्र डाउनलोड करना	03 सितम्बर 2013 से 08 सितम्बर 2013 तक	एम पी.ऑनलाइन के वेब पॉर्टल से आवेदक द्वारा
3	ऑन लाइन परीक्षा	08 सितम्बर 2013 को	एम पी ऑनलाइन द्वारा
4	परीक्षा परिणाम एवं मेरिट लिस्ट का ऑनलाइन प्रकाशन	10 सितम्बर 2013 अपराह्न 400 बजे।	एम पी ऑनलाइन द्वारा

टीप - AE0 के 2973 पदों की संरूपा में  
 आवैपक्तनानुसार परिवर्तन संभावित है।

(आर.के. चौकरी)  
 उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

// अधिसूचना //

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त, 2013

**क्रमांक एफ 13-28 / 2013 / 20-1.**—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, म0प्र0 के राज्यपाल, एतद द्वारा “म0प्र0 शिक्षा सेवा (शाला शाखा), भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982” में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

“संशोधन”

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम-6 में, खण्ड (1) में, उप खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित उप खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(घ) सीमित परीक्षा से चयन द्वारा.”।

(दो) नियम-11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“11 (एक) सीमित परीक्षा द्वारा चयन —

(1) अधीनस्थ शिक्षा सेवा के एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर के पद शासकीय माध्यमिक शाला, के प्रधानाध्यापक, शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं शासकीय शालाओं में पदस्थ स्थानीय निकाय के अध्यापक से भरे जायेगे,

(2) एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर के नियोजन/नियुक्ति के लिए “सीमित परीक्षा” ऐसे प्राधिकारी द्वारा सचालित की जायेगी जैसा की शासन द्वारा विहित की जाए,

(3) एरिया एज्यूकेशन ऑफिसर की भर्ती के लिए योग्यता की सूची तैयार करने एवं चयन का मापदण्ड एवं विज्ञापन प्रकाशित करने की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा कार्यपालिक आदेश जारी कर विहित की जाएगी।”

(तीन) अनुसूची क्रमांक-1 में, शीर्षक “अ-प्रशासन” के नीचे, अनुक्रमांक 15 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टिया अंतःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	पदों की श्रेणी	पद का वेतनमान	नियुक्तकर्ता प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“16	ए.ई.ओ.	3286	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+3600	आयुक्त, लोक शिक्षण नियुक्ति प्राधिकारी

क्रमशः2

(चार) अनुसूची-3 में, अनुक्रमांक 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाए अर्थात्—

क्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"4"	ए ईओ (एरिया एजुकेशन ऑफिसर)	—	—	मान्यता प्राप्त शासकीय विभागीय विश्वविद्यालय से स्नातक माध्यमिक शाला के की उपाधि तथा शिक्षा प्रधानाध्यापक, शिक्षक शास्त्र में स्नातक (बी. (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं एड) की उपाधि जो स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अध्यापक से जिनका परिषद से मान्यता प्राप्त सीमित परीक्षा द्वारा होना चाहिए तथा म0प्र0शासन के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला / स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक जिन्हे 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो	विभागीय विश्वविद्यालय से स्नातक माध्यमिक शाला के की उपाधि तथा शिक्षा प्रधानाध्यापक, शिक्षक शास्त्र में स्नातक (बी. (उच्च श्रेणी शिक्षक) एवं एड) की उपाधि जो स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा अध्यापक से जिनका परिषद से मान्यता प्राप्त सीमित परीक्षा द्वारा होना चाहिए तथा म0प्र0शासन के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक (उच्च श्रेणी शिक्षक) / प्रधान पाठक माध्यमिक शाला / स्थानीय निकाय संवर्ग के अध्यापक जिन्हे 5 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव हो

(पांच) अनुसूची क्रमांक-4 में अनुक्रमांक 8(ब) में आयटम (1-ब) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

2/18/13

(आर.के.चौकसे),

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन,  
स्कूल शिक्षा विभाग